7 ज़िलों के 3704 गाँव अभावग्रस्त घोषित

drishtiias.com/hindi/printpdf/3704-villages-declared-deprived

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान राज्य सरकार ने इस वर्ष मानसून की बारिश में जलजमाव एवं बाढ़ आदि से खरीफ की फसल खराब होने के कारण प्रदेश के 7 ज़िलों के 3704 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके लिये आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना के अनुसार, खरीफ फसल 2021 के लिये विभिन्न ज़िलों में की गई विशेष गिरदावरी के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के तहत इन गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
- इस अधिसूचना में बारां ज़िले में सर्वाधिक 1236 गाँव, झालावाड़ में 1177, कोटा में 485, बूंदी में 469 तथा टोंक ज़िले में 224 गाँव अभावग्रस्त घोषित किये गए हैं। धौलपुर और सवाईमाधोपुर ज़िलों में भी क्रमश: 72 और 41 गाँव अभावग्रस्त घोषित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग ने 6 अगस्त, 2021 को राज्य के सभी ज़िलों में विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किये थे, जिसके रिपोर्ट में धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा एवं बारां के 3704 गाँवों की खरीफ फसलों में 33% से अधिक खराबी पाई गई थी।